राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/ट्रेंनिंग/2009/387 दिनांक : 11/8/09

–: आदेश :–

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना इन्स्टीट्यूशनल एरिया, दूरदर्शन के पास जयपुर द्वारा आयोजित दिनांक 19.8.09 से 31.8.09 तक Induction/Foundation Course हेतु डॉ. सीमा, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भारू (झुन्झुनू) को मनोनीत किया जाता है।

उक्त चिकित्सक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रोग्राम में भाग लेने हेतु दिनांक 18.8.09 को सांय निर्धारित स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवायेगें अन्यथा श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव महोदय के पत्र कमांक : प (6)ट्रेनिंग (पी.एल.2) आरएचएसडीपी/2007/4405 दिनांक 14.06.07 के अनुसरण में अनुपस्थित रहने पर प्रशिक्षण राशि उनके वेतन से वसूली की जावेगी एवं सीसीए नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही भी प्रस्तावित की जावेगी, जिनकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं की होगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उक्त मनोनीत प्रशिक्षणार्थी को विशेष कठिन परिस्थिति होने पर उनके स्थान पर अन्य उस चिकित्सक को मनोनीत करेंगे जिसने पूर्व में यह प्रशिक्षण नहीं लिया हो साथ ही प्रशिक्षण में जाने वाले चिकित्सक को यह भी निर्देशित करावे कि प्रशिक्षण के दौरान केवल प्रशिक्षणार्थी हेतु ही आवास व्यवस्था की गई है, इसलिए अन्य (**पारिवारिक सदस्य/मित्र को भी**) किसी को भी वहाँ ठहरने की अनुमति नहीं दी जावेगी तथा उपरोक्त मनोनीत चिकित्सकों में से यदि किसी ने पूर्व में यह प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है तो उन्हें कार्यमुक्त नही करें।

नोट :– यात्रा भत्ता टैक्सी/स्वयं की कार इत्यादि का यात्रा भत्ता देय नहीं है।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : राजपत्रित/ट्रेंनिंग/2009/387 दिनांक : 11/8/09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, प्रोजेक्ट निदेशक, आरएचएसडीपी, मुख्यालय, जयपुर।
3. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना इन्स्टीट्यूशनल एरिया, दूरदर्शन के पास जयपुर को उनके पत्र कमांक F7(6)SIHFW/Ind.Trg./2007/1876 दिनांक 27.7.09 के कम में भेजकर लेख है कि प्रशिक्षण में उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों की सूचना एवं प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले प्रशिक्षणार्थियों की सूचना अविलम्ब भिजवावें ताकि उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जा सके।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन।
5. सम्बन्धित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजकर लेख है कि आपके अधीन कार्यरत उक्त चिकित्सक को उक्त प्रशिक्षण में दिनांक 18.8.09 को सांय प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित करते हुए कार्यमुक्त करें।
7. सम्बन्धित चिकित्सक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. प्रभारी, सरवर कम्प्यूटर रूम, मुख्यालय को संशोधित आदेश की प्रति भिजवाकर लेख है कि उक्त आदेश को इन्टरनेट एवं जिला मुख्यालय से सम्बन्धित वेबसाइट पर तुरन्त डलवाने का श्रम करे।
9. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान,जयपुर।